

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, कानपुर

पत्रांक २४०७ / १५-१ दिनांक, कानपुर, २३/०७/ 2021

सेवा मे,

अधिशाली अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड
12/476 मैकराबर्टगंज, कानपुर

विषय:— कानपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा आई०आई०टी० कानपुर से पालीटेक्निक कानपुर तक (एन०एच०-९१) कि०मी० ४१४.०० से ४१९.०० तक एन०एच०डी०पी०-IV के अन्तर्गत फोर लेन चौड़ीकरण हेतु ४.६ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित २४६ वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:— आपके कार्यालय की पत्र संख्या- ४६१/२२-सी दिनांक २२.०७.२०२१।

आपने अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण में निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय में प्रस्तुत की है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या ८बी/यू०पी०/०६/१७/२०१५/ एफ०सी०/३८९ दिनांक २४.०७.२०१५ द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी अनुपालन आख्या आपके कार्यालय की पत्र संख्या ८०१/२२ सी-२ दिनांक ०७.०९.२०१५ द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी। आप द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या इस कार्यालय की पत्र संख्या ९९०/१४-१ दिनांक २८.०५.२०१५ एवं पत्र संख्या ४६७५/१४-१ दिनांक ०६.०८.२०१६ से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित कर दी गयी थी। अतः इस कार्यालय द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या प्रति हस्ताक्षरित कर इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोपरि

भवदीय

(अरविन्द कुमार यादव)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

में,

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग कानपुर
पत्रांक 990/14-1 दिनांक कानपुर सितम्बर 28, 2015

मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी
उ०प्र० लखनऊ

कानपुर के लोक निर्माण विभाग द्वारा आई०आई०टी० कानपुर से पालीटेक्निककानपुर तक (एन०एच०-91) किमी० 414 से 419 तक एन०एच०डी०पी०-IV के अन्तर्गत फोर लेन चौड़ीकरण हेतु 4.6 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 246 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ:-

पर्यायवरण जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार की पत्र सं० 8 वी/यू०पी०/०६/१७/२०१५/एफ०सी०/३८९ दि० २४.०७.२०१५।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में पर्यायवरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा कतिपय शर्तों के आधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग की पत्र संख्या 801/22 सी० II दि० 07.09.2015 से करते हुए वाछित धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार बिन्दुवार प्रेषित है। विधिवत स्वीकृति जारी कराने की कार्यवाही करने की कृपा करें।

1. शर्त सं० 1 का अनुपालन करते हुए प्रभावित संरक्षित वन भूमि के दोगुने क्षेत्रफल 9.2 हे० पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं दस वर्ष रख-रखाव किये जाने हेतु आर०टी०जी०एस के माध्यम से यू०टी०आर० नं० SYNBR920/5083100722087 दिनांक 25.08.2015 को रू० 39166700 (उन्नतालिस लाख एक हजार छःसौ सरसट् मात्र) Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttar Pradesh S.B. A/C No. 25230 Corporation Bank New Delhi के पक्ष में जमा कर दिया गया है, जिसकी सूचना इस कार्यालय की पत्र सं० 873/14 दि० 11.09.2015 द्वारा मुख्य वन संरक्षक कैम्पा को दे दी गई है। रशीद की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित।

2. शर्त सं० 2 का अनुपालन करते हुए विषयक परियोजना में प्रभावित 4.6 हे० संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०बी०) आर०टी०जी०एस के माध्यम से यू०टी०आर० नं० SYNBR920/5083100722149 दिनांक 25.08.2015 को रू० 2879600.00 (अठ्ठाइस लाख उन्नयासी हजार छःसौ मात्र) Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttar Pradesh S.B. A/C No. 25230 Corporation Bank New Delhi के पक्ष में जमा कर दिया गया है, जिसकी सूचना इस कार्यालय की पत्र सं० 873/14 दि० 11.09.2015 द्वारा मुख्य वन संरक्षक कैम्पा को दे दी गई है। रशीद की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित।

3. शर्त सं० 3 का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोगता ऐजेन्सी द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है, छायाप्रति संलग्न।

4. परियोजना में प्रभावित संरक्षित भूमि 4.6 हे० का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) भारत सरकार की पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार $4.6 \times 626000 = 2879600$ लिया गया है।

5. शर्त सं० 5 का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोगता ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी मक डिस्पोजल योजना संलग्नकर प्रेषित है।

6. शर्त सं० 6 का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोगता ऐजेन्सी से वाछित धनराशि प्राप्त कर ली गयी है, विधिवत स्वीकृत जारी होने के पश्चात् सीमा स्तम्भों पर अक्षांश देशान्तर लिख कर सीमा स्तम्भ लगाये जाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।

संलग्नकर:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राम कुमार)

वन संरक्षक/प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

पत्रांक 990 /समदिनांकित।

प्रतिलिपि- मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैम्पा, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

छायाप्रति प्रमाणित

(Arvind Yadav)
Divisional Director
Social Forestry Division
Kanpur Nagar

dfokanpur@yahoo.com

(रामकुमार)

वन संरक्षक/प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

D:/rajat folder/September..

**ANNEXURE III
RTGS FUNDS-TRANSFER APPLICATION FORM**

| | |
|-----------------|--|
| Date | |
| Time of Request | |

To,
The Manager,
Syndicate Bank,
Hazratganj Branch,
Lucknow

SYNBR 920 | 508 31 007 22087

Dear Sir,

Applicant Details (To be filled in by the Applicant in Block Letters)

| | |
|---|----------------------------|
| Name of applicant | RPAO, MORTH, LUCKNOW |
| Account No. (for Debit) | CA 62 |
| Account Type | GOVERNMENT ACCOUNT CURRENT |
| Cheque No. (in favour of Manager Syndicate Bank Hazratganj, Lucknow) | 181437 |
| Cheque Date | 25-08-2015 |
| Cheque Amount | 9520535/- |

Beneficiary Details

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Beneficiaries name | MOEF (CAF) |
| A/c No. (for Credit) | 037100101025230 |
| A/c Type | Current/Savings/Overdraft |
| Centre Location | NEW DELHI |
| Name of Bank | CORPORATION BANK |
| Name of Branch | CGO COMPLEX |
| IFSC Code of the Bank | CORP0000371 |

AMOUNT DETAILS

| | |
|--------------------------|---|
| AMOUNT Rs. (in figures) | 3916670=00 |
| AMOUNT Rupees (in words) | Tirty nine lacs sixteen thousand six hundred and seventy only |
| Remarks/narration | |

Please remit the amount as per aforesaid details by debiting out above account for the amount mentioned above. I undertake to keep Syndicate Bank informed of any changes in the mode of operation of any of the above accounts.

Further, we agree that the credit to the Beneficiary's account shall be accorded on the next day if the Beneficiary's Bank / Branch is closed on account of any reason. We hereby agree that the Bank will be not held responsible for unexecuted RTGS request for the reasons beyond the control of Syndicate Bank or Reserve Bank of India or both.

We confirm having read and understood the terms and conditions pertaining to Syndicate Bank SyndiInstant facility.

Yours Sincerely,

Regional Pay & Accounts Officer (NH).

Assistant Engineer
NATIONAL HIGHWAY DIVISION

P.W.D., KANPUR Circular No. 074-2006-BC-P &D/18-04-2006

UTR No. SYNBR 920 | 508 31 007 22087

To,

Officer on Special Duty,
Ad-hoc CAMPA,
202 Trikoot I, Bhikalji Cama Place,
New Delhi- 110066

Please confirm the amount whether deposited in CAMPA or not through return
Email of vermalalji@gmail.com

Profarma

| | | |
|-----|--|--|
| 1- | Name of Regional Office | Kanpur Circle, Kanpur |
| 2- | State/Distt./ Forest Division to which the Proposal relates | Social Forestry Division Kanpur |
| 3- | Name of User Agency nature of proposal | IIT kanpur to Polytechnic kanpur NH-91 Km 414 to 419 |
| 4- | Extent of forest area involved | 4.6 hact. |
| 5- | Whether original or extension | original |
| 6- | If extension of lease PI clarify if proposal involves additional forest area and if so specify | N.A. |
| 7- | Date of 1st stage Clearance | 24-07-2015 |
| 8- | Extent of CAMPA charges head wise viz | 3916670.00 |
| | A- Compensatory Afforestation | - |
| | B- Additional CA | - |
| | C- Penal CA | - |
| | D- Catchment Area Treatment | - |
| | E- Wildlife Management Plan | - |
| | F- Additional Charges for division of area falling under notified/protected areas | - |
| | G- Net present Value | Rs. 2879600.00 |
| | H- Any other Charges/Levies (PI Specify) | - |
| 9- | Details of Bank (Bank Draft No., Date & Amount) Head-wise against items indicated in paragraph 8 above | |
| 10- | Whethers deposited by RTGS, if so the particulars & Date of remittance | RTGS SYNBR92015083100722149 3916670.00 RTGS SYNBR92015083100722087 2879600.00 |
| 11- | Bank (Corporation bank lodhi Complex/ Union Bank of India, Sunder Nagar) in which deposited, with date of deposition | Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttar Pradesh S.B. A/C No. 25230 Corporation Bank New Delhi. |
| 12- | Any other remarks | |

छायाप्रति प्रमाणित

(Arvind Yadav)
Divisional Director
Social Forestry Division
Kanpur Nagar

dfokanpurnagar@gmail.com
2016

Divisional Director
प्रधानीय विदेशिक

सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

E:/data year 2013/ rajat letter/January

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग कानपुर
पत्रांक 1989/14-1 दिनांक कानपुर, जनवरी 30 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / मण्डल अधिकारी
उ०प्र० लखनऊ

विषय:- कानपुर के लोक निर्माण विभाग द्वारा आई०आई०टी० कानपुर से पालीटेक्निककानपुर तक (एन०एच०-91) किमी० 414 से 419 तक एन०एच०डी०पी०-IV के अन्तर्गत फोर लेन चौड़ीकरण हेतु 4.6 हे० सरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 248 वृक्षों के पालन की अनुमति।

सन्दर्भ:- पर्यावरण जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार की पत्र सं० 8 वी / यू०पी० / 06 / 17 / 2015 / एफ०सी० / 1321 दि० 18.01.2016।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव के साथ संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में कुल धनराशि रू० 3916670/- दर्शायी गई है। याचक विभाग द्वारा RTGS से रू० 3916670/- क्षतिपूरक हेतु कैम्पा फण्ड में जमा भी किया गया है किन्तु त्रुटिवस रू० 3916670/- के स्थान पर रू० 391667/- लिख गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संदर्भित पत्र के क्रम में रू० 391667/- के स्थान पर रू० 3916670/- क्षतिपूरक हेतु कैम्पा फण्ड में जमा होने के सम्बन्ध में अवगत कराने का कष्ट करें। RTGS द्वारा जमा धनराशि रू० 3916670/- की बैंक की रशीद संलग्न कर रशीद एवं कॉलम-20 की संसोधित सूचना संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकर:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राम कुमार)

वन संरक्षक / प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

पत्रांक / **समदिनांकित।**

प्रतिलिपि- मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैम्पा, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक कानपुर मण्डल कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

हस्ताक्षर प्रति प्रमाणित

(Arvind Yadav)
Divisional Director
Social Forestry Division
Kanpur Nagar

(रामकुमार)

वन संरक्षक / प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

MUCK DISPOSAL/MANAGEMENT PLAN

- | | | |
|---|-----------------|---------------|
| 1. Quantity of muck to be generated in road excavation including Swell factor (10%) | 25,503.70x1.10= | 28054. 70 cum |
| 2. Quantity of muck to be utilized in the project activities | | 28100.00 cum |
| 3. Balance quantity of muck, which requires disposal/management plan. | | Nil |
| 4. Carriage of muck from the muck generation site to the dumping site. | | N/A |
| 5. Ownership of land and the consent of land owners | | N/A |
| 6. Photograph and carrying capacity of proposed dumping site | | N/A |
| 7. Development of dumping site | | N/A |
| 8. Rehabilitation of dumping site | | N/A |

Undertaking by User Agency

1. Muck management plan will be implemented by the user agency and in case of non implementation of the plan, they will be liable to penalty/ action at their cost.
2. The quantity of Muck generated will be utilized in the project activities.

S.K. Yadav
(S.K. Yadav)
Executive Engineer
N.H. Division, PWD
Kanpur